

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़
(पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार-1)

राजस्व वाद सं. 42/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1. अजीज पुत्र अब्दुला 2. अरबाव पुत्र अब्दुला 3. इसमाइल पुत्र अब्दुला 4. रेहमता पुत्र अब्दुला 5. समी पत्नी अब्दुला जाति-मुसलमान, नि0 वाण्डासर, तह0 गडरारोड़		1. जामीन खां पुत्र जलाल खां 2. नवीयत पत्नी जामीन 3. करीम खां पुत्र मेघा 4. गांधी खां पुत्र मेघा जाति-मुसलमान, नि0 वाण्डासर तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर 5. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जैसिन्धर तह0 गडरारोड़ 6. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गडरारोड़ 7. तहसीलदार गडरारोड़।

दावा बाबत विभाजन खातेदारी मूभि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 25/11/25

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2025 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा वाण्डासर, पटवार मण्डल-गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 389 रकबा 12.5048 हैक्टेयर, तह0 गडरारोड़ जिला बाडमेर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर विभाजन के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार गडरारोड़ से चाहे जाने पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा निम्नानुसार विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :- वादीगण की ओर से वकील श्री ईश्वरसिंह भाटी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री रविन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 30.07.2024 को वकालाता नामा पेश करने से आदिनांक तक जवाब पेश नहीं करने से दिनांक 10.07.2025 को जवाब बन्द कर दिया गया था। उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

क.स.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
1.	अजीज पुत्र अब्दुला 1/5 रहन आर. एम.जी.वी. जैसिन्धर अरबाव पुत्र अब्दुला 1/5 इसमाइल पुत्र अब्दुला 1/5 रहन आर.एम.जी.वी. जैसिन्धर रेहमता पुत्र अब्दुला 1/5 समी पत्नी अब्दुला 1/5 जाति-मुसलमान सा. देह खातेदार	वांडासर	389	4.1682	वा.सो.	0.51	हरा
			01	4.1682	वा.सो.	0.51	
2.	करीम खां पुत्र मेघा 43/1030 रहन आर.एम.जी.वी. जैसिन्धर गांधी खां पुत्र मेघा 172/1030 रहन आर.एम.जी.वी. जैसिन्धर जामिन खां पुत्र जलाल 300/1030 नवीयत पत्नी जामिन 515/1030 जाति-मुसलमान, सा.देह खातेदार	वांडासर	389	8.3366	वा.सो.	1.87	दौंगिन
			01	8.3366	वा.सो.	1.87	

उक्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार गडरारोड़ के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-


क.स.	खातेदार का नाम	ग्राम का नाम	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	वरंग
1.	अजीज पुत्र अब्दुला 1/5 रहन आर. एम.जी.वी. जैसिन्धर अरबाव पुत्र अब्दुला 1/5 इसमाइल पुत्र अब्दुला 1/5 रहन आर.एम.जी.वी. जैसिन्धर रेहमता पुत्र अब्दुला 1/5 समी पत्नी अब्दुला 1/5 जाति-मुसलमान सा. देह खातेदार	वांडासर	389	4.1682	वा.सो.	0.51	हरा
			01	4.1682	वा.सो.	0.51	

2.	करीम खां पुत्र गेघा 43/1030 रहन आर.एम.जी.बी. जैसिन्धर गांधी खां पुत्र गेघा 172/1030 रहन आर.एम.जी.बी. जैसिन्धर	वांडासर	389	8.3366	बा.सो.	1.87	बैंगिन
	जागिन खां पुत्र जलाल 300/1030 नबीयत पत्नी जागिन 515/1030 जाति-मुसलमान, सा.देह खातेदार		01	8.3366	बा.सो.	1.87	

तहसीलदार गडसरोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद और नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा तथा बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दखिल दफ्तर हो।


सहोदर कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
गडसरोड़ जिला बाडमेर